

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय  
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं० सं०—एस०आई०पी०बी० 201700462.....  
सेवा में,

दिनांक— मार्च, 2018

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

विषय— मेसर्स माँ राधिका इन्टरप्राइजेज, पश्चिमी चंपारण द्वारा कुमारबाग, औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया में 28800 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का राईस मिल ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में रू० 7,83,478.00 (मात्र सात लाख तिरासी चार सौ अठहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स माँ राधिका इन्टरप्राइजेज, पश्चिमी चंपारण द्वारा कुमारबाग, औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया में 28800 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का राईस मिल ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक दिनांक 14.07.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 27.12.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर—प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक SIPB201700462/899, दिनांक 23.02.2018 के द्वारा श्री संजीत कुमार, सलाहकार, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं श्री कृष्ण कुमार भारती, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 05.04.15 से से कार्यरत बताया गया है किंतु ईकाई को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत इसके प्रभावी अवधि दिनांक-01.09.2016 से ही अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मेसर्स माँ राधिका इन्टरप्राइजेज, पश्चिमी चंपारण द्वारा कुमारबाग, औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया में 28800 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का राईस मिल ईकाई की स्थापना के निमित्त लिए गए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में औद्योगिक नीति-2016 के आलोक में दिनांक-01.09.2016 से 30.09.2017 तक की अवधि के लिए रू० 7,83,478.00 (मात्र सात लाख तिरासी चार सौ अठहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।
- (iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।
- (iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय वहन "स्वीकृत्यादेश सं०-1014, दिनांक-14.03.18 एवं सहपठित पत्रांक-1028, दिनांक-15.03.2018 एवं आवंटनादेश सं०-138/आ०, दिनांक-15.03.2018 एवं सहपठित पत्रांक-140, दिनांक-19.03.18 के आलोक में मांग संख्या- 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2852- उद्योग, उप मुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33 01 सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित आवंटित राशि से की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ-2

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान मेसर्स माँ राधिका इन्टरप्राइजेज, पश्चिमी चंपारण को उनके बैंक ऑफ इंडिया, बेतिया शाखा में Account No.- 12310500013346, IFSC Code- BARB0BETTIA में RTGS/Bank Draft के माध्यम से की जाएगी।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक- मार्च, 2018

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700462.....

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700462.....

दिनांक- मार्च, 2018

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700462...12.7.3.

दिनांक- 26 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-1 (सरकार) / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स माँ राधिका इन्टरप्राइजेज, पश्चिमी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।